कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री सत्यनारायण सिह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महापुरा (MAHAPURA), जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाड़ा एकल (BHADA, EKAL) जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सत्यनारायण सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4292/2019 सत्यनारायण सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4292/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुर्क्त आशय का अभ्यावदेन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पुत्र की दुर्घटना से उत्पन्न मानसिक बीमारी के कारण कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती कराने की महती आवश्यकता एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन जयपुर अथवा टोंक जिले में कहीं भी प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी श्री सत्यनारायण सिंह के पुत्र के न्यूॅरोलोजिकल आपातकाल की महती आवश्यकता एवं उनकी प्रतिकूल व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उनका समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमली (AMLI), जिला टोंक किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्री सत्यनारायण को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सत्यनारायण सिंह/4292/2019 दिनांक 02-12-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक/जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक/जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री सत्यनारायण सिंह, सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।

11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner